रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2015/फाल्गुन 7, 1936
No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2015/PHALGUNA 7, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

(श्रम और रोजगार महानिदेशक का कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2015

सं. यू-23013/31/2014-एलडब्ल्यू-बी.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 640(अ), दिनांक 04.07.2001 की पृष्ठभूमि में, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दर्शाए गए कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन के संबंध में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट, उड़ीसा के लोहा एवं कोयला हैंडलिंग संयंत्रों में छूट प्रदान करने पर विचार करने के लिए एतद्द्वारा एक समिति का गठन करता है।

2. इस समिति का संघटन निम्नवत् होगा:—

i. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंधा, महासचिव —सदस्य
हिंद खदान मजदूर फैडरेशन (हिंद मजदूर सभा),
प्लाट संख्या 1557/डी, सैक्टर-10, सीडीए
अभिनंद बिदानसी, कटक- 7543014 उड़ीसा ।

ii. श्री प्रभाकर सिंह, —सदस्य
मुख्य अभियंता (एनडीजेड-I), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

iii. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर —सदस्य-संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत् होंगे:-

"इस बात का अध्ययन करना कि क्या ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत उक्त अधिसूचना की अनुसूची (क) गंदगी की सफाई; और (ख) बहाव को हटाने संबंधी कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को

प्रतिषिद्ध करने वाली अधिसूचना संख्या का.आ. 640(अ), दिनांक 04.07.2001 की पृष्ठभूमि में, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट उड़ीसा को छूट प्रदान करने में कोई औचित्य है।"

4. इस समिति का मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा। यह समिति पक्षकारों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, प्रस्तुतीकरण की अनुमति देगी तथा अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।

जी. के. कालरा, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

(OFFICE OF DGLE)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th February, 2015

No. U-23013/31/2014-LW-B.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption in the Iron and Coal handling plants of Paradip Port Trust, Paradip Port, Odisha under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification No. S.O. 640(E), dated 04.07.2001 in respect of prohibit the employment of Contract Labour in the works given in the schedule to the said Notification.

2. The composition of the Committee will be as under:—

i. Sh. Rajendro Prasad Singha, —Member
General Secretary,
Hind Khadan Mazdoor Federation (Hind Mazdoor Sabha),
Plot No. 1557/D, Sector-10, CDA
Abhinanda Bidanasi, Cuttack-7543014 Orissa.

ii. Shri Prabhakar Singh, —Member
Chief Engineer (NDZ-I), Central Public Works Department,
Nirman Bhawan, New Delhi

iii. Regional Labour Commissioner (Central), —Member Convener
Bhubaneswar

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:—

"To study whether there is justification for grant exemption to Paradip Port Trust, Paradip Port Odisha under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification No. S.O. 640(E), dated 4.07.2001 prohibiting of employment of Contract Labour in the works given in the schedule (a) Muck Cleaning; and (b) Spillage removal to the said Notification."

4. The Headquarter of the Committee will be at Bhubaneswar. The Committee shall hear the parties afresh, allow submission and submit its report within two months.

G. K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.